



प्रेस विज्ञप्ति
18.06.2026

एसआरएस समूह के मामले में अपराध की आय (पीओसी) को सही दावेदारों को वापस करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में, माननीय विशेष न्यायाधीश, पीएमएलए, गुरुग्राम ने दिनांक 19.05.2026, 04.06.2026 और 11.06.2026 के अलग-अलग आदेशों के माध्यम से 12 वास्तविक घर खरीदारों और मेसर्स एसआरएस रियल एस्टेट लिमिटेड के समाधान पेशेवर को लगभग 281.85 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों की बहाली का आदेश दिया है। बहाल की गई संपत्तियों में एसआरएस समूह द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं जैसे एसआरएस रॉयल हिल्स, फेज-1 और 2, एसआरएस सिटी, एसआरएस पर्ल फ्लोर, एसआरएस पर्ल टॉवर, एसआरएस रेजीडेंसी और एसआरएस प्राइम फ्लोर के फ्लैट शामिल हैं।

ईडी ने एसआरएस समूह के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत फरीदाबाद, दिल्ली और सीबीआई के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज 81 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है। समूह पर निवेशकों और बैंकों को 2200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। एसआरएस समूह रियल एस्टेट और वित्त के कारोबार में था। प्रमोटरों ने घर खरीदारों/प्लॉट खरीदारों, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को धोखा देकर संपत्ति के हेरफेर/आपराधिक दुरुपयोग आदि के द्वारा धोखाधड़ी/आपराधिक साजिश/जालसाजी/ आपराधिक विश्वासघात का अपराध किया था।

ईडी की जांच से पता चला है कि एसआरएस समूह के आरोपी व्यक्तियों/संस्थाओं ने निवेशकों को उच्च रिटर्न के वादे और विभिन्न आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं के बदले में एसआरएस समूह में निवेश करने के लिए लुभाया था। ऐसे निवेश से प्राप्त धन को एसआरएस समूह द्वारा बनाई गई सैकड़ों मुखौटा कंपनियों में जमा किया गया और बाद में उसे बाहर ले जाया गया। इस मामले में पहले ही 2215.98 करोड़ रुपये का एक अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया जा चुका है और इसके बाद ईडी द्वारा पीएमएलए, गुरुग्राम की माननीय विशेष अदालत के समक्ष अभियोजन शिकायत दिनांक 29.08.2022 दायर की गई थी। अदालत ने 31.10.2022 की अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लिया और दिनांक 03.11.2025 के आदेश के माध्यम से आरोपी व्यक्तियों/संस्थाओं के खिलाफ आरोप तय किए।

वर्तमान घटनाक्रम से संलग्न संपत्तियों को वास्तविक घर खरीदारों और समाधान पेशेवर जैसे वैध दावेदारों को वापस करने का मार्ग प्रशस्त होता है। यह न्याय की खोज और धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप पीड़ित निवेशकों के अधिकारों को लागू करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस मामले में पहले, तीन आरोपियों प्रवीण कुमार कपूर, सुनील जिंदल और जितेंद्र गर्ग को विशेष अदालत द्वारा भगोड़ा अपराधी घोषित किया गया था और ईडी द्वारा इंटरपोल को रेड कॉर्नर नोटिस के प्रकाशन का अनुरोध किया गया था। इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर, प्रवीण कुमार कपूर को नेवार्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, यूएसए में प्रवेश से वंचित कर दिया गया और 02.11.2025 को यूएसए अधिकारियों द्वारा भारत में निर्वासित कर दिया गया। इसके अलावा, दो अन्य आरोपियों सुनील जिंदल और जितेंद्र गर्ग को न्यायालय द्वारा दिनांक 15.01.2026 के आदेश के माध्यम से भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है।

इससे पहले इस मामले में ईडी ने 2390 वास्तविक घर खरीदारों को 670.15 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल संपत्तियां वापस की थीं। इस मामले में संपत्तियों की बहाली का कुल मूल्य 952 करोड़ रुपये (लगभग) है।

मामले में सुनवाई चल रही है।